REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072020-220550 CG-DL-E-16072020-220550

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 344] No. 344] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2020/आषाढ़ 24, 1942 NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2020/ASHADHA 24, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2020

सा.का.नि. 447(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उप-धारा (2) के खंड (घ), (ङ) और (य ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद) नियम, 2020 है।

(2) ये 20 जुलाई, 2020 को प्रवृत्त होंगे।

- 2. परिभाषाएं (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा अपेक्षित हो, -
 - (क) 'अधिनियम' से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) अभिप्रेत है;
 - (ख) 'केंद्रीय परिषद' से अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद अभिप्रेत है;
 - (ग) 'अध्यक्ष' से केंद्रीय परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
 - (घ) 'अनुसूची' से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;
 - (ङ) 'राज्य' में संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं।

3145 GI/2020

(2) इनमें उपयोग किए गए ऐसे शब्द और वाक्यांश, जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है परंतु अधिनियम में परिभाषित किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा अधिनियम में परिभाषित किया गया हो।

- केंद्रीय परिषद की संरचना केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय परिषद की स्थापना करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, जिनकी संख्या छत्तीस से अधिक नहीं होगी, अर्थात् :-
 - (क) केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री, जो केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष होंगे;
 - (ख) केंद्रीय सरकार में उपभोक्ता मामले के प्रभारी राज्य मंत्री (जिनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है) अथवा उप मंत्री, जो केंद्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होंगे;
 - (ग) अनुसूची I में यथाउल्लिखित प्रत्येक क्षेत्र, जिन्हें प्रत्येक बार केंद्रीय परिषद का कार्यकाल समाप्त होने पर चक्रानुक्रम के आधार पर बदला जाएगा, से दो राज्यों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी मंत्री;
 - (घ) अनुसूची II में यथाउल्लिखित किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक (चाहे वे प्रशासक अथवा उप राज्यपाल के रूप में विनिर्दिष्ट हों), जो उस संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिन्हें प्रत्येक बार केंद्रीय परिषद का कार्यकाल समाप्त होने पर चक्रानुक्रम के आधार पर बदला जाएगा;
 - (ङ) दो संसद सदस्य एक लोक सभा से और एक राज्य सभा से।
 - (च) उपभोक्ता हितों से संबंधित केंद्रीय सरकार के विभागों, स्वायत्त संगठनों अथवा विनियामकों के प्रतिनिधि,
 जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (छ) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त;
 - (ज) रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नई दिल्ली;
 - (झ) उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि, जिनकी संख्या पांच से अधिक नहीं होगी, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा;
 - (ञ) उपभोक्ता संगठनों, उपभोक्ता सक्रिय कार्यकर्ता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संगठनों, अकादमीशियनों, कृषकों, व्यापार अथवा उद्योग-जगत से लिए उपभोक्ता हितों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम अनुभूत विशेषज्ञता और अनुभव रखने वाले प्रतिनिधि, जिनकी संख्या अनुसूची I में दिए गए प्रत्येक क्षेत्र से एक होगी, जो पांच से अधिक नहीं होगी, जिनमें से कम-से-कम एक महिला होगी।
 - (ट) राज्यों के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव, जिनकी संख्या तीन से अधिक नहीं होगी, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।
 - (ठ) केंद्रीय सरकार के उपभोक्ता मामले के प्रभारी सचिव, केंद्रीय परिषद के सदस्य-सचिव होंगे।
- 4. केंद्रीय परिषद का कार्यकाल केंद्रीय परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष को होगा:

परंतु केंद्रीय परिषद तीन माह के अधिक अवधि अथवा इसका पुनर्गठन किए जाने की अवधि तक, जो भी पहले हो, कार्य करती रहेगी।

- केंद्रीय परिषद के सदस्यों का त्यागपत्र कोई भी सदस्य, केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष को सम्बोधित स्वयं के द्वारा लिखित सूचना देते हुए, केंद्रीय परिषद से त्यागपत्र दे सकता है।
- त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति- (1) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति को केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की उसी श्रेणी से नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

(2) नियम 5 के अधीन किसी सदस्य के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न हुई रिक्ति भरने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति केवल उसी अवधि तक पद पर रहेगा जिस अवधि के लिए, यदि रिक्ति उत्पन्न न हुई होती, मूल सदस्य पद पर रहने का हकदार था। 7. कार्य समूह – (1) अधिनियम के अधीन अपने कार्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन से, केंद्रीय परिषद इसके सदस्यों में से ऐसे कार्य समूह का गठन कर सकती है, जिसे यह आवश्यक समझे और इस प्रकार गठित किया गया प्रत्येक कार्य समूह ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन करेगा जो केंद्रीय परिषद द्वारा इसे सौंपे जाएंगे।

(2) केंद्रीय परिषद प्रत्येक कार्य समूह को स्पष्ट रूप से परिभाषित ऐसे कार्य सौंपेगी जो विचारार्थ विषयों के माध्यम से विनिर्दिष्ट किए जाएं. और जिसमें वह समयावधि भी सम्मिलित होगी जिसके भीतर ऐसे कार्य पूरे किए जाने हैं।

- (3) कार्य समूह केंद्रीय परिषद के अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे।
- (4) प्रत्येक कार्य समूह के निष्कर्षों को केंद्रीय परिषद के विचारार्थ इसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
- (5) कार्य समूह उस कार्य के पूरा होने के पश्चात् कार्य करना बंद कर देगा जिसके लिए इसे गठित किया गया था।
- कार्य संचालन के लिए केंद्रीय परिषद की बैठकें (1) केंद्रीय परिषद की बैठकें साधारणतया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आयोजित की जाएंगी:

परंतु केंद्रीय परिषद, जब अध्यक्ष का यह मत हो कि ऐसी करना उपयुक्त है, भारत में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित कर सकती है।

(2) केंद्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष, अथवा उनकी अनुपस्थिति की स्थिति में, परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति के मामले में, केंद्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता इस प्रयोजनार्थ चुने गए केंद्रीय परिषद के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(4) केंद्रीय परिषद की बैठक, अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रत्येक सदस्य को बैठक की आशयित तारीख से कम-से-कम पंद्रह दिन पहले डाक अथवा ई-मेल के माध्यम से त्वरित संप्रेषण को सुकर बनाने के लिए लिखित सूचना देते हुए बुलाई जा सकती है।

(5) केंद्रीय परिषद की प्रत्येक बैठक की सूचना में बैठक का समय, तारीख और स्थान तथा बैठक के लिए कार्यसूची की मदों की जानकारी दी जाएगी।

(6) केंद्रीय परिषद की बैठक के दौरान कार्यसूची में सम्मिलित न किए गए किसी भी मामले पर अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य, जैसा भी मामला हो, की अनुमति को छोड़कर, चर्चा नहीं की जाएगी।

(7) केंद्रीय परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त का मसौदा यथासंभव शीघ्र और प्रत्येक बैठक के समापन से अधिकतम एक सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा तथा बैठक के कार्यवृत्त को अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अथवा बैठक की अध्यक्षता करने वाले सदस्य द्वारा अनुमोदित केंद्रीय परिषद की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त के मसौदे को अगली बैठक में अंगीकार किए जाने हेतु यथाशीघ्र केंद्रीय परिषद के प्रत्येक सदस्य को अग्रेषित किया जाएगा।

(9) किसी रिक्ति के होने अथवा केंद्रीय परिषद के गठन में किसी दोष के होने मात्र से केंद्रीय परिषद की कोई भी कार्यवाही अवैध नहीं ठहरायी जाएगी।

- व्यय और बैठक शुल्क की प्रतिपूर्ति (1) केंद्रीय परिषद के गैर-स्थानिक गैर-सरकारी सदस्य निम्नलिखित के हकदार होंगे: -
 - (क) केंद्रीय परिषद अथवा कार्य समूहों की बैठकों में भाग लेने के प्रयोजन से आने और जाने की यात्रा के संबंध में किफायती श्रेणी का हवाई यात्रा किराया;
 - (ख) उनके दैनिक भत्तों, आवास, उनके निवास स्थान से स्टेशन अथवा एयरपोर्ट तथा स्टेशन अथवा एयरपोर्ट से केंद्रीय परिषद अथवा इसके कार्य समूहों की बैठक के स्थान और विपरीत क्रम में स्थानीय परिवहन के लिए किए गए व्यय को कवर करने के लिए, केंद्रीय परिषद अथवा इसके कार्यसमूहों की बैठक के प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रूपये की राशि।

(2) उप-नियम (1) के अधीन किया गया प्रत्येक दावा केंद्रीय परिषद के सदस्य द्वारा इस प्रमाणन के अध्यधीन होगा कि वे केंद्रीय परिषद अथवा इसके किसी कार्यसमूह की बैठक में भाग लेने के प्रयोजन से अपने दौरे के दौरान केंद्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय, विभाग अथवा संगठन से किसी लाभ का दावा नहीं करेंगे।

(3) केंद्रीय परिषद अथवा इसके कार्यसमूह की बैठक-स्थल के स्थान में निवास करने वाले स्थानीय गैर-सरकारी सदस्य, शहर के किसी वर्गीकरण के बिना, बैठक के प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपये तक के समेकित किराया प्रभारों का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(4) केंद्रीय परिषद अथवा इसके कार्यसमूहों की बैठकों में भाग लेने वाले संसद सदस्य उन दरों पर यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे जो ऐसे सदस्यों को अनुमेय है।

अनुसूची I

[नियम 3(3) देखें]

- (1) पूर्वी क्षेत्र में बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बंगाल राज्य सम्मिलित हैं।
- (2) पश्चिम क्षेत्र में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य सम्मिलित हैं।
- (3) उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य सम्मिलित हैं।
- (4) दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य सम्मिलित हैं।
- (5) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य सम्मिलित हैं।

अनुसूची II

[नियम 3 (4) देखें]

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र।

> फा. सं. जे-10/2/2019-सीपीयू अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2020

G.S.R. 447(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d),(e) and (zj) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Central Consumer Protection Council) Rules, 2020.
- (2) They shall come into force on the 20^{th} day of July,2020.
- 2. **Definitions**. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019);
 - (b) "Central Council" means the Central Consumer Protection Council established under sub-section (1) of section 3 of the Act;
 - (c) "Chairperson" means the chairperson of the Central Council;
 - (d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (e) "State" include Union territory.

- (2) The words and expressions used herein, but not defined, and defined in the Act shall have the meaning assigned to them in the Act.
- 3. Composition of Central Council. The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, establish the Central Council which shall consist of the following members, not exceeding thirty-six, namely:
 - (a) the Minister in-charge of Consumer Affairs in the Central Government who shall be the Chairperson of the Central Council;
 - (b) the Minister of State (where he is not holding independent charge) or Deputy Minister in charge of Consumer Affairs in the Central Government who shall be the Vice-Chairperson of the Central Council;
 - (c) the Minister in-charge of Consumer Affairs of two of the States from each region as mentioned in Schedule I to be changed by rotation on expiration of the term of the Central Council on each occasion;
 - (d) an administrator (whether designated as administrator or Lieutenant Governor) of a Union territory, to represent that Union territory, as mentioned in Schedule II, to be changed by rotation on expiration of the term of the Central Council on each occasion;
 - (e) two Members of Parliament—one from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha;
 - (f) representatives of Departments of the Central Government, autonomous organisations or regulators concerned with consumer interests, not exceeding five to be nominated by the Central Government;
 - (g) the Chief Commissioner of the Central Consumer Protection Authority;
 - (h) the Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi;
 - (i) representatives of consumer organisations not exceeding five, to be nominated by the Central Government;
 - (j) representatives with proven expertise and experience who are capable of representing consumer interests, drawn from amongst consumer organisations, consumer activists, research and training organisations, academicians, farmers, trade or industry, not exceeding five, one from each of the regions specified in Schedule I, of whom at least one shall be a woman;
 - (k) the Secretaries in-charge of Consumer Affairs in the States, not exceeding three, to be nominated by the Central Government;
 - (1) the Secretary in-charge of Consumer Affairs in the Central Government shall be the Member-Secretary of the Central Council.
- 4. **Term of Central Council.** The term of the Central Council shall be three years:

Provided that the Central Council shall continue to function for a further period of three months or till it is reconstituted, whichever is earlier.

- 5. **Resignation of members of Central Council.** Any member may, by notice in writing under his hand addressed to the Chairperson of the Central Council, resign from the Central Council.
- 6. Vacancy caused by resignation. (1) A vacancy caused by the resignation of a member under rule 5 shall be filled by a fresh appointment from the same category of members by the Central Government.

(2) The person appointed to fill the vacancy caused by the resignation of a member under rule 5 shall hold office only for the period of time that the original member would have been entitled to hold office had the vacancy not occurred.

7. Working Groups. — (1) For the purposes of performing its functions under the Act, the Central Council may constitute from amongst its members, such working groups as it may deem necessary, and every working group so constituted shall perform such task as are assigned to it by the Central Council.

(2) The Central Council shall entrust to each working group clearly defined tasks which are specified through terms of reference, and which shall also include the time-period within which such task are to be completed.

- (3) The working groups shall report to the Chairperson of the Central Council.
- (4) The findings of each working group shall be placed before the Central Council for its consideration.
- (5) The working group shall cease to function on the completion of the task for which it was constituted.

8. Meetings of Central Council for transaction of business. — (1) The meetings of the Central Council shall ordinarily be held in the National Capital Territory of Delhi:

Provided that the Central Council may also hold its meetings at any other place in India, wherever in the opinion of the Chairperson, it is expedient so to do.

- (2) The Chairperson, or in his absence, the Vice-Chairperson shall preside over the meetings of the Central Council.
- (3) In the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, the meetings of the Central Council shall be presided over by a member of the Central Council elected for this purpose.
- (4) A meeting of the Central Council may be called with the approval of the Chairperson by issuing a notice in writing to every member at least fifteen days before the intended date of the meeting by post, or through e-mail to facilitate speedy communication.
- (5) The notice of every meeting of the Central Council shall intimate the time, date, and place of the meeting and the items of agenda for the meeting.
- (6) Any business not included in the agenda shall not be transacted at a meeting of the Central Council except with the permission of the Chairperson, or the Vice-Chairperson, or the member presiding over the meeting, as the case may be.
- (7) The draft minutes of each meeting of the Central Council shall be prepared as soon as possible and not later than one week from the conclusion of each meeting and the same shall be submitted to the Chairperson or the Vice-Chairperson or to the member who presided over the meeting for his approval.
- (8) The draft minutes of each meeting of the Central Council approved by the Chairperson or the Vice-Chairperson or the member who presided over this meeting shall be forwarded to each member of the Central Council as soon as possible for adoption at the next meeting.
- (9) No proceedings of the Central Council shall be invalid merely by reasons of existence of any vacancy in or any defect in the constitution of the Central Council.
- **9. Reimbursement of expenses and sitting fees.** (1) Non-local non-official members of the Central Council shall be entitled to:—
 - (a) avail economy class airfare in connection with journeys undertaken to and from for the purpose of attending meetings of the Central Council or the working groups;
 - (b) a sum of rupees five thousand per each day of the meeting of the Central Council or its working groups as incidental charges to cover the expenditure towards their daily allowance, lodging, local conveyance from their place of residence to the station or airport and from the station or airport to the venue of meeting of the Central Council or its working groups, and vice-versa.

(2) Every claim made under sub-rule (1) shall be subject to the member of the Central Council certifying that he shall not claim any benefit from any other ministry, department or organisation of the Central Government during his visit for the purpose of attending the meeting of the Central Council or any of its working groups.

(3) Local non-official members residing at the place of the venue of the meeting of the Central Council or its working groups, shall be entitled to avail consolidated conveyance hire charges of up to rupees one thousand per each day of the meeting irrespective of the classification of the city.

(4) Members of Parliament attending meetings of the Central Council or its working groups shall be entitled to travelling and daily allowances at such rates as are admissible to such Members.

SCHEDULE I

[See rule 3 (3)]

(1) Eastern Region - to consist of the States of Bihar, Chattisgarh, Jharkhand, Odisha, and West Bengal.

(2) Western Region - to consist of the States of Goa, Gujarat, Maharashtra, Madhya Pradesh and Rajasthan.

(3) Northern Region - to consist of the States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Uttar Pradesh and Uttarakhand.

(4) Southern Region - to consist of the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Telangana.

(5) North Eastern Region – to consist of the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura and Sikkim.

SCHEDULE II

[See rule 3 (4)]

The Union territories of the Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Jammu and Kashmir, Ladakh, Lakshadweep, Puducherry, the National Capital Territory of Delhi.

> [F. No. J-10/2/2019-CPU] AMIT MEHTA, Jt. Secy.